भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4101
उत्तर देने की तारीख 18 अगस्त, 2025
27 श्रावण, 1947 (शक)

वैश्विक डोपिंगरोधी कार्यशाला

4101. श्री करण भूषण सिंह:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का कार्यशाला से प्राप्त जानकारी के आधार पर डोपिंगरोधी प्रवर्तन का विस्तार करने के लिए कोई अनुवर्ती उपाय करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें अन्य एशियाई देशों और 'इंटरपोल' तथा 'वाडा' जैसी वैश्विक एजेंसियों की भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में डोपिंगमुक्त खेल सुनिश्चित करने के लिए जांच और खुफिया जानकारी जुटाने संबंधी तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) जी हां, भारत सरकार 12-16 मई 2025 और 21-25 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित वाडा के वैश्विक डोप रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क (जीएआईआईएन) कार्यशालाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर डोप रोधी प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए अनुवर्ती उपाय करना चाहती है। देश में डोप रोधी उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) ने डोप रोधी प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए ठोस अनुवर्ती उपाय शुरू किए हैं, जिसमें खुफिया और जांच (आई एंड आई) गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, डोप संबंधी उल्लंघनों का सक्रिय रूप से पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन और नियामक निकायों के साथ अंतर-एजेंसी सहयोग बढ़ाना शामिल है।

(ख) जीएआईआईएन कार्यशाला में 25 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जिनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और तिमोर-लेस्ते सहित विभिन्न एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व शामिल था। प्रतिनिधियों में राष्ट्रीय डोप रोधी संगठनों (एनएडीओ), कानून प्रवर्तन एजेंसियों और

सीमा शुल्क विभागों के अधिकारी शामिल थे। इंटरपोल और वाडा जैसी प्रमुख वैश्विक एजेंसियों ने भी कार्यशालाओं के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और तकनीकी सत्रों और केस स्टडी चर्चाओं का नेतृत्व किया।

(ग) भारत सरकार स्वच्छ खेल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने खुफिया जानकारी जुटाने और जांच तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे:

- विशेषज्ञ कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण सहित, सूचना एवं संचार अवसंरचना के संस्थागत सुदृढ़ीकरण में नाडा को सहायता प्रदान करना।
- प्रदर्शन-वर्धक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय।
- राष्ट्रीय डोप रोधी नियमों को वाडा संहिता के अनुरूप बनाकर तथा प्रवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर कानूनी ढांचे को बेहतर बनाना।
- सक्रिय जोखिम पहचान और लक्षित परीक्षण के लिए डेटा विश्लेषण और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना।

*****